कार्यालय–जनपद न्यायाधीश, बस्ती।

संख्याः 156 /नजारत, बस्ती/नीलामी नोटिस, दिनांकित–04.10.2023

नीलामी नोटिस,

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, बस्ती परिसर में निष्प्रयोज्य सामग्रियों की सार्वजनिक नीलामी दिनांक **11.10.2023, दिन बुधवार को अपरान्ह 04.00 बजे** जनपद न्यायालय, बस्ती के वीडियो कान्फ्रेंसिंग हाल में नीलामी समिति की देखरेख में सम्पन्न की जायेगी। न्यायालय परिसर में स्थित निष्प्रयोज्य सामग्रियों की सूची निम्नवत है–

कम सं0	निष्प्रयोज्य सामग्रियों का विवरण	संख्या
1.	कूलर	58 अदद
2.	कूलर स्टैंड	15 अदद
3.	लोहे की कुर्सी	289 अदद
4.	लकड़ी की कुर्सी	626 अदद
5.	प्लास्टिक की कुर्सी	111 अदद
6.	जनरेटर	04 अदद
7.	मेज	102 अदद
8.	वाटर कूलर	04 अदद
9.	सीलिंग पंखा	56 अदद
10.	वाल फैन	02 अदद
11.	स्टैपलाइजर	02 अदद
12.	ब्लोअर	02 अदद
13.	टंकी	05 अदद
14.	लाइट पैनल	02 अदद
15.	लोहे का बक्सा	13 अदद
16.	लकड़ी का बक्सा	06 अदद
17.	साइकिल	01 अदद
18.	लोहे की टंकी	06 अदद
19.	लोहे की ग्रिल	03 अदद
20.	आलमारी	28 अदद
21.	लोहे गेट के पल्ले	22 पल्ले

उपरोक्त निष्प्रयोज्य सामग्रियों के नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों/ठेकेदारों को निम्नलिखित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा–

01. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को मु0 200.00 रूपये नकद प्रति फार्म की दर से नजारत कार्यालय से दिनांक **05.10.2023 से 09.10.2023** तक किसी भी कार्यालय दिवस में नीलामी फार्म प्राप्त कर सकते हैं।

02. नीलामी फार्म जमा करने वाले व्यक्ति ही नीलामी में भाग ले सकते हैं।

2–

03. नीलामी में उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति को संपूर्ण धनराशि तुरन्त जमा करना होगा। कम बोली बोलने वाले व्यक्ति को जमानत राशि नियमानुसार वापस कर दी जायेगी।

04. उपरोक्त निष्प्रयोज्य सामग्रियों की नीलामी में हिस्सा लेने हेतु आवेदक को जमानत राशि के रूप में मु0 **2000.00** रूपया नकद प्रति फार्म की दर से नीलामी फार्म के साथ दिनांक **10.10.2023** को कार्यालय दिवस में जमा करना होगा।

05. किसी भी व्यक्ति की नीलामी स्वीकृत करने, अस्वीकृत करने अथवा बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार, माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, बस्ती को होगा।

06. बोली स्वीकार होने की दशा में संबंधित व्यक्ति को 05 दिन के अंदर नीलामी में लिए गए उक्त निष्प्रयोज्य सामग्रियों को अपने व्यय पर ले जाना अनिवार्य होगा।

07. नीलामी की कार्यवाही कराने अथवा स्थगित करने या तिथि बदलने का सम्पूर्ण अधिकार नीलामी समिति को होगा।

इस नोटिस/सूचना की छायाप्रतियॉ विस्तृत प्रचार प्रसार हेतु जनपद न्यायालय बस्ती के विभिन्न नोटिस बोर्डों, जिला अधिकारी बस्ती, पुलिस अधीक्षक बस्ती, विकास भवन, तहसील सदर, जिला सूचना अधिकारी बस्ती, जिला योजन कार्यालय बस्ती, प्रधान डाकघर, रेलवे स्टेशन व रोडवेज बस्ती इत्यादि समस्त राजकीय कार्यालयों के नोटिस बोर्डो पर चस्पा करायी जाये तथा इस नोटिस/सूचना का प्रकाशन किसी स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में भी करायी जाए एवं जनपद न्यायालय बस्ती के वेवसाइट पर भी अपलोड कराया जाए।

Siddharth 04.10.23	04/10/23	4/10/23	04/10/2023
(सिद्धार्थ बरगोती)	**(उमेश यादव)**	**(विजय कुमार कटियार)**	**(शिवचन्द)**
सदस्य नीलामी समिति	**सदस्य नीलामी समिति**	**सदस्य नीलामी समिति**	**अध्यक्ष नीलामी समिति**
न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय, बस्ती।	अति0 मुख्यान्यायिक दण्डाधिकारी, बस्ती।	अति0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ फास्ट ट्रैक्ट कोर्ट, बस्ती।	अति0जिला एवं सत्र न्यायाधीश बस्ती।

Approved.
5/10/23